पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 493

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. नगाराम पुत्र पकाजी प्रजापत निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

2. पंचायत निगरानी संख्या : 385/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 494

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. दुर्गेश कुमार पुत्र भंवरलाल राव निवासी कोटडी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

3. पंचायत निगरानी संख्या : 386/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 495

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. हरिलाल पुत्र किकाराम मेघवाल निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

4. पंचायत निगरानी संख्या : 388/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 497

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. अमृतलाल पुत्र मांगीलाल राव निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

5. पंचायत निगरानी संख्या : 393/2024
   जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/ 502

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384 / 2024,385 / 2024, 386 / 2024, 388 / 2024, 393 / 2024, 398 / 2024, 399 / 2024, 403 / 2024, 404 / 2024, 407 / 2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. जीवली पत्नी लादाराम मेघवाल निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

6. पंचायत निगरानी संख्या : 398 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 507

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. पोकरराम पुत्र अगराराम सीरवी निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

7. पंचायत निगरानी संख्या : 399 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 508

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी
2. नंजू पत्नी ओगडराम जाति नाई निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

8. पंचायत निगरानी संख्या : 403 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 515

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. कंकू पत्नी वजाराम मेघवाल निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

9. पंचायत निगरानी संख्या : 404 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 516

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।
2. कन्या पत्नी नगाराम प्रजापत निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

10. पंचायत निगरानी संख्या : 407 / 2024
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024 / 514

रमेश कुमार पुत्र पकाराम जाति मेघवाल निवासी करणवा ग्राम पंचायत कोटड़ी बनाम तहसील देसूरी जिला पाली राज

1. ग्राम पंचायत कोटड़ी प.स. देसूरी जिला पाली राज. जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384 / 2024,385 / 2024, 386 / 2024, 388 / 2024, 393 / 2024, 398 / 2024, 399 / 2024, 403 / 2024, 404 / 2024, 407 / 2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

2. मंजू देवी पत्नी उमेश लौहार निवासी कोटड़ी, तहसील देसूरी जिला पाली राज.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्यामसिंह।
2. अप्रार्थी संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश कुमार पारंगी।
3. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेश कुमार भण्डारी।
4. अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024 / 494)
5. अप्रार्थी संख्या 02 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही (प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024 / 507)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 10.10.2025

याचिकाकर्ता श्री रमेश कुमार ने ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा समान प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 द्वारा निर्णय लेकर निष्पादित किये गये दस भूमि विक्रय विलेखों को उपरोक्त पंचायत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से समान आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की है, अत: उपरोक्त वर्णित पंचायत निगरानी याचिकाओं को एक साथ निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

निगरानी याचिकाओं के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 02 ने अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 01 को आर्थिक नुकसान पहूंचाने एवं अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिये ग्राम पंचायत कोटडी की आवासीय भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता न रखने के उपरान्त भी अपने स्वयं के नाम से फैसला दिनांक 02 / 05.09.2019 के द्वारा जैर निगरानी पट्टा प्राप्त किया है, जिसे प्राप्त करने का अप्रार्थी संख्या 02 को कोई अधिकार नहीं था फिर भी कानून व नियमों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से अपने पक्ष में जारी करवाया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 से पत्रावली कायम करने से पूर्व न तो आवेदन लिया गया, न ही दिया गया और न ही आवेदन नियमानुसार ग्राम पंचायत में फीस जमा करवाई गई, इस कारण भी आदेश दिनांक 02 / 05.09.2019 निरस्तनीय हैं। यह कि, अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने से संबंधित पत्रावली दर्ज नहीं की गई तथा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा चाही गयी भूमि का नक्शा अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रस्तुत भी नहीं किया गया, न ही विधिवत रुप से तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन किया गया और न ही उन तीन वार्ड पंचों ने मौके पर जाकर भूमि का निरीक्षण नाप चौक अपनी उपस्थिति में ग्राम पंचायत के नक्शानवीस से तैयार करवाया न ही मौके की कोई रिपोर्ट तैयार की। इस कारण भी ग्राम पंचायत का आदेश जैर निगरानी निरस्त होने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी करने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्राथमिक प्रस्ताव नहीं लिया गया जो लिया जाना आदेशात्मक हैं। यह है कि तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उजरदारी का कोई नोटिस न तो नियमानुसार जारी किया और न ही उस उजरदारी नोटिस पंचायत के सूचना बोर्ड पर चस्पा किया गया, न ही ग्राम के आम चौहटे पर तथा भूमि पर जिसका पट्टा चाहा गया हैं पर लोगो की दृष्टि में आवें ताकि लोग अपनी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

उजरदारी प्ररतुत कर सके, वस्पा ही किया गया हैं। इस कारण भी आदेश दिनांक 02/05.09.2019 निरस्त होने योग्य है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा आम नागरिकों की उजरदारी का निस्तारण वैधानिक व नियमानुसार नहीं किया गया हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 भूमिहिन व्यक्ति नहीं है, इसके पास पहले से ग्राम पंचायत कोटडी की सीमा में रहवासीय मकान उपलब्ध हैं, इस कारण वह रियायती दर पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं इस कारण आदेश जैर निगरानी निरस्तनीय हैं। यह है कि ग्राम पंचायत की नई आबादी भूमि में नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति, भूमिहीन, विकलांग, विधवा वगैरा को पट्टे जारी किये जाने का प्रावधान हैं। अप्रार्थी संख्या 02 इस पद में वर्णित किसी भी प्रकार की पात्रता नहीं रखता है। इसके उपरान्त भी झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलायट कर पट्टा जारी करवाने का निगरानीधीन आदेश जारी करवाया हैं। इस कारण निरस्त होने योग्य हैं। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने बिना देखे, बिना सोचे समझे एक ही परिवार के दो लोगों के नाम भी पट्टे जारी करने का आदेश दिया हैं। इतना ही नहीं, कई वार्ड पचों ने वार्ड पंच पद पर रहते हुए पट्टा प्राप्त करने की पात्रता न रखते हुए अपने स्वयं के नाम से और परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर भी पट्टे जारी करने का आदेश दिनांक 02/05.09.2019 पारित करवाया है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 02 का न तो मौके पर किसी भी प्रकार की कोई कब्जास्थान ही किसी भी प्रकार का कोई निर्माण, वाड अथवा झौपडा ही बना हुआ था, न आज तक उसके पास पट्टे में वर्णित भूमि पर कब्जा हैं। बिना भूमि का कब्जा दिये ग्राम पंचायत ने पट्टा देने के आदेश दिनांक 02/05.09.2019 पारित कर पट्टा दिया इस कारण ग्राम से संबंधित पट्टे की भूमि के कब्जे को लेकर विचित्र स्थिति बनी हुई हैं। अनावश्यक रुप से अशान्ति फैल रही है। बार बार पुलिस को शिकायते की जाती हैं इस कारण बार बार पुलिस जिसे अधिकार न होते हुए भी शिकायत कर्ता को गांव के दुसरे लोगो को रहवासीय भूमि पर बिठा दिया जाता हैं एवं ग्रामवासी बिना वजह बार बार पुलिस आने से भयभीत रहते हैं। अतः निगरानी पेश कर जैर निगरानी पट्टे की भूमि का निरस्त करावें।

निगरानी याचिकाएँ दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटडी की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश पारगी पैरवी हेतु उपस्थित आए। पंचायत निगरानी प्रकरण संख्या जी.सी.एम.एस. 2024/507 में पट्टाधारी अप्रार्थी संख्या दो श्री पोकरराम बावजूद सम्यक तामीली के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष पचायत निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या दो के रुप में संयोजित पट्टाधारियों द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थिति दी गई। निर्णयाधीन दस पंचायत निगरानी याचिकाओं का मूल रिकॉर्ड ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत जरिए ग्राम विकास अधिकारी, कोटडी ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में जवाब पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो को अनुचित लाभ पहुंचाने की नियत से फैसला दिनांक 02/05.09.2019 से आलोच्य पट्टा दिया है। अप्रार्थी संख्या 02 के पूर्व में पक्का रहवासीय मकान भी है, जो पट्टा नियमों के विरुद्ध जाकर जारी किया गया जो निरस्त करने योग्य हैं तथा इसका कोई भी रिकॉर्ड ग्राम पंचायत कोटडी में उपलब्ध नहीं है। यह है कि जवाबदावा के पद संख्या दो, तीन, चार, पांच का जवाब दावा यह है कि इस पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोटडी के कोई रिकॉर्ड मौजुद नहीं है। न ही कोई पट्टा बनाने का प्रस्ताव लिया गया। न ही वार्ड पंचों द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, मौका रिपोर्ट भी तैयार नहीं की गई तथा मौके पर पट्टा प्राप्त करने वाले का आज दिन तक भौतिक रुप से किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं है। प्रस्ताव दिनांक 02/05.09.2019 को जारी किया है जो नियमों के विरुद्ध है जो निरस्त फरमावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

अप्रार्थीगण पट्टाधारियों द्वारा जरिए अधिवक्तागण विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के सम्बन्ध में प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार आवेदन करने के पश्चात विधि एवं न्यायिक सिद्धान्तों की अक्षरशः पालना करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया तत्पश्चात उपरोक्त पट्टे को उप पंजीयक कार्यालय देसूरी, में रजिस्टर्ड करवाया गया। विधि अनुसार रजिस्टर्ड पट्टे के सन्दर्भ में कोई भी विवाद होने की स्थिति में सुनवाई का एकमात्र अधिकार दीवानी न्यायालय को है। अतः उपरोक्त प्रार्थनापत्र श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने से खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि उपरोक्त निगरानी याचिकाओं लगभग 5 वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रिवीजन याचिका 03 वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि उपरोक्त रिवीजन याचिका 5 वर्ष से अधिक अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका अवधिबाधित होने से खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि प्रार्थी रमेश कुमार तथा अप्रार्थी संख्या 01 सरपंच श्रीमती सुकी के मध्य आपस में देवर भाभी का संबंध है तथा उनके मध्य दुरभिसंधि है। जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिका खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि रिवीजन याचिका इंटरेस्टेड व्यक्ति (हितबद्ध व्यक्ति) द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है, हर कोई याचिका प्रस्तुत नहीं कर सकता है। प्रार्थी ग्राम करणवा का निवासी है तथा उपरोक्त विवादित पट्टा ग्राम कोटडी में स्थित है, जिससे प्रार्थी द्वारा उपरोक्त याचिका में प्रार्थी स्वयं के इंटरेस्ट (हित) नहीं है एवं न ही प्रार्थी द्वारा उपरोक्त याचिका में प्रार्थी ने स्वयं के इंटरेस्ट (हित) होने का उल्लेख अपने अभिवचनों में किया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के काबिल है। यह है कि उपरोक्त याचिका प्रस्तुत करने से पूर्व एक अन्य शख्स श्री मदनसिंह द्वारा भी याचिका श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिनको उसके द्वारा जरिए विड्रॉल खारिज की गई। जैसे ही रिवीजन याचिका खारिज की गई, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अपने देवर प्रार्थी रमेश कुमार के साथ साठ–गांठ कर उपरोक्त याचिका प्रस्तुत की। जिससे प्रार्थी का उपरोक्त याचिका रेसजुडिकेट से प्रभावित होने से खारिज किए जाने के काबिल है।

अप्रार्थीगण ने निगरानी याचिकाओं का पदवार जवाब पेश कर निवेदन किया कि **पद संख्या 01 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है।** अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा विधि एवं नियमों की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तमाम नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 तमाम जांच एवं प्रक्रिया सम्पन्न की गई। तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त पट्टे को उपपंजीयक कार्यालय, देसूरी में पंजीबद्ध करवाया गया। निगरानी याचिकाओं का **पद संख्या 02 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है।** अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 01 के आदेशानुसार अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा नियमानुसार राशि जमा करवाई गई। **निगरानी याचिकाओं का पद संख्या 03 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है।** अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने संबंधित पत्रावली नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई थी। सभी नियमों की अक्षरशः पालना की गई थी। नक्शा प्रस्तुत किया गया था, वार्ड पंचों की कमेटी का गठन किया गया था। नियमानुसार मौका निरीक्षण किया गया था। **पद संख्या 04 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है** प्राथमिक प्रस्ताव लिया गया था। **पद संख्या 05 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है।** सभी नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए उजरदारी के नोटिस नियमानुसार हर माध्यम से निकाले गये थे। **पद संख्या 06 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है** नियमानुसार सभी उजरदारी का निस्तारण किया गया था। **पद संख्या 07 सरासर गलत एवं निराधार होने**

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

से अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 02 भूमिहीन है। **पद संख्या 08 भी अस्वीकार है।** क्योंकि अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में नियमानुसार पात्रता रखने से अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में उपरोक्त पट्टा जारी किया गया। **पद संख्या 09 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है,** अप्रार्थी संख्या 02 पट्टा प्राप्त करने की पूर्ण पात्रता रखता है तथा अप्रार्थी संख्या 02 की किसी भी पंच अथवा सरपंच से किसी प्रकार की कोई रिश्तेदारी अथवा नातेदारी नहीं है। उपरोक्त आदेश 02/05. 09.2019 सभी नियमों की अक्षरशः पालना करते हुए किया गया था। **पद संख्या 10 सरासर गलत एवं निराधार होने से अस्वीकार है,** अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर कब्जा न हो। अप्रार्थी संख्या 02 का मौके पर विधिवत कब्जा होकर नियमानुसार उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की निगरानी याचिकाएं सव्यय खारिज फरमावें।

प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से उभयपक्षकारान् की बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने उपरोक्त निगरानी इस आधार पर पेश की है कि ग्राम पंचायत ने राज. पंचायत राज अधिनियम 1996 में वर्णित प्रावधान नियम 140से 161 की पूर्ण पालना किये बिना ही जैर निगरानी आदेश व उसकी पालना में पट्टा अवैध रुप से जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो भूमिहिन नहीं है तथा स्वयं का रहवासी मकान पंचायत की सीमा में पहले से ही है जिसमें मय परिवार निवास करता है। अप्रार्थी संख्या दो को उपरोक्त पट्टा नियम 158 के तहत मिसल में पारित बिना दिनांक निर्णय के आधार पर करीब 8–9 वर्ष बाद में बिना दिनांकित आदेशिका जैर निगरानी पट्टा जारी करना बताया है। यह कि मिसल की ऑर्डरशीट कम्प्यूटर से फॉर्मेट के रुप में प्रिंटेड है जिसकी फोटोप्रति में केवल नाम, दिनांक इत्यादि पेन से भरे हैं। ऑर्डरशीट किस दिनांक में लिखी हुई है, किसी भी ऑर्डरशीट में दिनांक अंकित नहीं है अर्थात कब आवेदन पेश हुआ कब मिसल दर्ज की गई, कब तीन पंच मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किये गये, कब पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई, कब अस्थायी निर्णय लिया गया एवं कब आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस जारी किया गया, कब पात्रता बाबत जांच की गई है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही नियम 146 से 148 अनुसार पंचायत की साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव लेकर की जाती है तथा मिसल की आदेशिका में प्रत्येक कार्यवाही किस दिनांक में की गई है, वह अंकित की जाती है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही का विचाराधीन प्रकरणो में ग्राम पंचायत की कार्यवाही में पूर्ण अभाव रहा है। इस कारण से सारी कार्यवाही व पट्टा अवैध तथा Ab Initio Void होने से निरस्त योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखने बाबत् इस बाबत मिसल में किसी भी प्रकार के दस्तावेजात् जांच एवं बयान इत्यादि नहीं है, ऐसी स्थिति में उसके गरीब होने तथा नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने का पात्र होने बाबत् ग्राम पंचायत की फाईन्डिंग काल्पनिक है, जो अवैध होने से पट्टा निरस्त योग्य है। अप्रार्थी संख्या दो के पास पूर्व से ही पक्का रहवासी मकान है जिसमें मय परिवार निवास कर रहा है। अप्रार्थी संख्या दो द्वारा आवेदन ग्राम पंचायत में किस दिनांक को पेश किया गया, उसका प्रस्तुतीकरण का अंकन आवेदन पर नहीं है इससे भी स्पष्ट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में की गई है। यह कि हस्तगत प्रकरण सहित सैकडो मिसलों में मौका निरीक्षण हेतु वार्डपंच, कमला, पेमाराम व रमेशकुमार को नियुक्त किया गया है अर्थात सभी में इन्हीं तीनों को पंच नियुक्त किया गया है तथा सभी मिसलों की आदेशिका में भी इन्हीं तीनों पंचों के हस्ताक्षर है। इसके अलावा किसी भी पंच को न तो मौका निरीक्षण हेतु नियुक्त किया गया एवं न ही मिसलों की कार्यवाही में उपस्थिति दर्ज है। इससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या दो सहित सभी पट्टेधारकों ने सरपंच सुमित्रा मीणा तथा इन्हीं तीनो पंचो के साथ मिलकर अवैध रुप से समस्त

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही विधि के विपरित की है। यह कि नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु नोटीस की प्रति मिसल में लगी है जिस पर न तो आउटवर्ड नम्बर दर्ज है एवं नही दिनांक अंकित है। उक्त नोटिस कब जारी हुआ एवं कब चस्पा किया गया, इस बाबत कोई विवरण नही है। नोटिस कब एवं किसके रुबरु एवं कहां पर चस्पा किया गया, इस सम्बन्ध में कुछ भी विवरण दर्ज नहीं है। उक्त नोटिस 30 दिन की अवधि के लिए आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी किया जाता है लेकिन ऐसा कोई नोटीस कभी जारी ही नही किया गया। इसलिए प्रार्थी व अन्य को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ इस कारण भी सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व शून्यवत होने से निरस्त योग्य है। यह कि मिसल में अप्रार्थी संख्या दो के बयान के रुप मे फॉर्म अवश्य है जिसमें बयान देने वाले के रुप मे अप्रार्थी संख्या दो का नाम अंकित है। मगर उक्त बयान पर अप्रार्थी संख्या दो अथवा अन्य किसी भी गवाह के हस्ताक्षर अथवा अगुष्ठ निशान नही है, ऐसी स्थिति में उक्त बयान न तो पढे जा सकते है एवं न ही कानून की नजर मे बयान माने जा सकते है तथा ऐसे तथाकथित बयानों को आधार मानकर आदेश अथवा पट्टा जारी किया जाता है तो वह अवैध व शून्य ही माना जायेगा। यह कि सम्पूर्ण मिसल जिसमें आदेशिकाएं, नक्शा, मौका निरीक्षण प्रपत्र, आपत्ति नोटिस, बयान इत्यादि सभी पर सरपंच के रुप में सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर है जबकि सुमित्रा मीणा जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक ही सरपंच रही है इससे पूर्व सरपंच हिम्मतारामजी रहे है। ऐसी स्थिति मे सन 2010 से 2015 के बीच की अवधि में मिसल में सरपंच के रुप में हिम्मताराम के स्थान पर सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर है, जो सभी कूटरचित दस्तावेज है। इस कारण भी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवैध व शून्य होने से निरस्त योग्य है। उपरोक्त मिसलो के अवलोकन से ही प्रथमदृष्टया प्रकट है कि सारी कार्यवाही एक ही दिन में की गई है तथा सभी पट्टो की मिसलों को एक ही फॉर्मेट में तैयार किया गया है तथा नाम इत्यादि विवरण बाद में दर्ज किया गया है। वर्ष 2006 तथा 2010 मे पेश आवेदन पर भी सुमित्रा मीणा के सरपंच के रुप में हस्ताक्षर है जबकि तत्समय वह सरपंच ही नही थी, ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण कार्यवाही फर्जी अवैध तथा कूटरचित ही है इसलिए ऐसे पट्टो को कभी भी तथा कोई भी व्यक्ति चुनौति दे सकता है। ऐसे पट्टो को निरस्त करने हेतु कोई मयाद नही है इस सम्बन्ध में 2000(2) RLW Page 911(F.B.) राज. उच्च न्यायालय, 1995 DNJ 458, DNJ 413, 2020(1) R&T 566 न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन फरमावें। यह कि धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अथवा न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी पंचायत द्वारा पारित आदेश, संकल्प, प्रस्ताव, पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाकर जांच कर खारिज कर सकता है। अप्रार्थी संख्या दो विधिक रुप से नियम 158 के तहत रियायती दर रुपये 5/– प्रतिमीटर की दर से पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं उक्त राशि लेकर अपात्र व्यक्तियों को जारी पट्टे अवैध है। साथ ही पंचायत व राज्य को लाखों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। विधिनुसार निलामी की जाती तो प्रत्येक भूखण्ड से लाखो रुपये का पंचायत का राजस्व प्राप्त होता, लेकिन अवैध रुप से बैकडेट में एवं एक दिन में कार्यवाही कर रियायती दर से पट्टा जारी कर लाखो रुपये का पंचायत को नुकसान हुआ है तथा प्रार्थी भी उसी पंचायत का नागरिक है जिसे ऐसे अवैध फर्जी व कूटरचित पट्टो को चुनौति देने का पूर्ण अधिकार है। यह कि पंचायत नियम 143 अनुसार भूखण्डो का निलाम किया जाना आज्ञापक है साथ ही नियम 146 में स्थल निरीक्षण हेतु, नियम 147 के तहत अनन्तिम विनिश्चय हेतु, नियम 148 के तहत आक्षेप आमंत्रित करने हेतु मिसल को पंचायत की बैठक में रखी जाकर संकल्प (प्रस्ताव) पारित करना आज्ञापक है, बिना संकल्प (प्रस्ताव) के की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व शून्य है। नियम 158 के तहत जिनके पास स्वयं के गृहस्थल अथवा गृह नहीं है तो ही रियायती दर से भूखण्ड का आवंटन किया जा सकेगा, लेकिन वह पट्टा विलेख अन्तरण योग्य नही होगा तथा भूखण्ड विक्रय नही किया जायेगा, तथा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

भविष्य में पुनः उसे पश्चातवर्ती आवंटन नहीं होगा। हस्तगत प्रकरणों में अप्रार्थी संख्या 02 के पास स्वयं के निवास हेतु स्वयं का मकान उसी गांव में स्थित है जिसमें वह मय परिवार निवास कर रहे है इसलिए किसी भी रुप से नियम 158 के तहत पट्टा प्राप्त करने के लिए पात्रता नही रखता है फिर भी पंचायत को आर्थिक नुकसान कारित करने की नियत से अवैध रुप से फर्जी कार्यवाही कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो अवैध है। उक्त पट्टे में वर्णित भूखण्ड आज तक खाली एवं खुला ही पड़ा है तथा इसका उपयोग नही किया गया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या दो के पास पूर्व से ही रहवासी मकान व भूखण्ड वगैरा उपलब्ध है, इस कारण भी प्रस्ताव मय पट्टा खारिज योग्य है। यह कि तत्कालीन सरपंच सुमित्रा मीणा ने उक्त निगरानियों में वर्णित पट्टाधारियों से मिलावट व साजिश कर ग्राम पंचायत को अवैध रुप से हानि पहुचाने की नियत से बैकडेट अर्थात उसके सरपंच कार्यकाल के पूर्व के वर्षो में आवेदन पेश होना तथा मिसले दर्ज होना बताकर एक ही प्रस्ताव संख्या दो दिनांक 05.09.2019 के आधार पर चुनाव से मात्र दो माह पूर्व में काफी पट्टे अवैध रुप से अपात्र व्यक्तियों को जारी किये गये है, जिसके सम्बन्ध में करीब 26 पंचायत निगरानी याचिकाएं प्रार्थी ने पेश की है। इस प्रकार समस्त पट्टे एवं इस बाबत सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में जारी संकल्प मय पट्ट निरस्त फरमावें तथा पचायत को आर्थिक नुकसान कारित करने, फर्जी व कुटरचित तरीके से कार्यवाही कर पट्टे जारी करने वाले सरपच, ग्राम विकास अधिकारी एवं पट्टाधारी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही करने हेतु भी आदेश पारित फरमावें।

काबिल अधिवक्ता श्री गणपतसिंह राजपुरोहित एवं श्री जितेश कुमार भण्डारी ने निर्णयाधीन पंचायत निगरानियों में पट्टाधारियों अर्थात अप्रार्थीगण संख्या दो की ओर से पैरवी करते हुए बहस के दौरान निवेदन किया कि निगरानीकर्ता श्री रमेश कुमार स्वयं तत्समय वार्डपंच था तथा जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय बिलेखों की कार्यवाहियों में उसके हस्ताक्षर है एवं समस्त कार्यवाही निगरानीकर्ता की जानकारी में है। यह, कि हस्तगत निगरानियाँ लगभग पांच वर्ष की अवधि के पश्चात प्रस्तुत की गई है जबकि परिसीमा अधिनियम अनुसार पंचायत निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु तीन वर्ष की अवधिसीमा निर्धारित है। निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु याची का 'हितबद्ध व्यक्ति' होना आवश्यक है किन्तु हस्तगत प्रकरणों में याची हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में शामिल नहीं है। पूर्व में इन्हीं भूमि विक्रय बिलेखों के विरुद्ध एक अन्य व्यक्ति श्री मदनसिंह द्वारा पंचायत निगरानियाँ प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा निर्णय से पूर्व विड्रो कर दी गई जिस कारण उपरोक्त याचिकाएँ रेस्ज्युडिकेटा से प्रभावित होने से काबिल खारिज है। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने यह भी निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी भूमि विक्रय बिलेखों से सम्बन्धित मिसलों में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में उपबन्धित समस्त प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई है एवं यह भी, कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा दिनांक 05.04.2017 को जारी परिपत्र में यह स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि नियम 158 में समाज के कमजोर वर्गों को भूमि आवंटन से पूर्व नियम 145 से 156 में इंगित प्रक्रिया की पालना करना आवश्यक नहीं है। बहस को समेकित करते हुए अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टो को उपपंजीयक कार्यालय देसूरी में पंजीबद्ध करवाया जा चुका है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजों को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है एवं इस हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं होने से विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाएँ निरस्त फरमावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों का ससम्मान अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयाधीन दस निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड, यथा मिसल, बैठक कार्यवाही विवरण तथा मूल पट्टा विलेख का गहनता से अध्ययन किया गया।

विचाराधीन समस्त दस निगरानी याचिकाएँ एक ही निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पचायत कोटडी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 के विरुद्ध समान आधारों व आक्षेपों पर प्रस्तुत की गई है।

विचाराधीन पंचायत निगरानी याचिकाओं का गुणावगुण आधार पर विवेचन करने से पूर्व पट्टाधारियों अर्थात निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या दो के रुप में संयोजित पक्षकारों द्वारा पेश इस प्राथमिक आपत्ति का निर्धारण आवश्यक है कि निगरानी याचिका हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थी ग्राम करणवा का निवासी है जबकि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख ग्राम कोटडी से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थी का कोई हित निहित नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी आक्षेपित किया गया कि प्रार्थी आलोच्य पट्टा विलेख सम्बन्धि समस्त कार्यवाही में बतौर वार्ड पंच शामिल रहा है तथा इसके प्रमाणस्वरुप उसके हस्ताक्षर मिसल पर अंकित है।

अप्रार्थीपक्ष के उपरोक्त आक्षेप/प्राथमिक आपत्ति का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने लिखित बहस के पद संख्या बारह में निवेदन किया गया है कि धारा 97 के तहत कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अथवा न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी पंचायत द्वारा पारित आदेश, संकल्प,प्रस्ताव, पट्टे का रिकॉर्ड मंगवाकर जांच कर खारिज कर सकता है। यह भी, कि जैर आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों से पंचायत का नागरिक है जिसे अवैध फर्जी एवं कूटरचित पट्टे को चुनौति देने का पूर्ण अधिकार है।

हस्तगत पंचायत निगरानियां राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धानुर्गत प्रस्तुत की गई है तथा 'हितबद्ध व्यक्ति' सम्बन्धि बिन्दु के निर्धारण से पूर्व उक्त धारा 97 के प्रावधानों का उल्लेख करना सामीचीन है:-

(1)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्हीं भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और, यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी।

परन्तु राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे पक्षकार को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न मिल गया हो।

(2) राज्य सरकार किसी भी पक्षकार पर प्रतिकुल प्रभाव डालने वाले ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश के निष्पादन पर, उसके सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने तक, रोक लगा सकेगी।

(3)राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति से प्राप्त किसी आवेदन पर, किसी भी समय, उप धारा (1) के अधीन आदेश पारित किये जाने के नब्बे दिन के भीतर-भीतर ऐसे किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी यदि वह उसके द्वारा किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो, उपधारा (1) के परन्तुक और उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट इस उप-धारा के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार स्पष्ट है धारा 97 कि किसी पंचायतीराज संस्था द्वारा पारित किसी विनिश्चय अथवा आदेश या कार्यवाही की वैधानिकता, नियमितता या औचित्य के पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन हेतु राज्य सरकार की शक्ति के सम्बन्ध में उपबन्ध करती है। इसी अधिनियम की धारा 98 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार की उक्त पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन सम्बन्धी शक्ति जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टरों का जरिए अधिसूचना प्रत्यायोजित की गई है। पूर्वोक्त धारा 97 में पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन के रुप में किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन के साथ साथ यह भी उपबन्धित है कि राज्य सरकार स्वप्रेरणा से भी ऐसा करने हेतु सक्षम है। यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रार्थी श्री रमेश कुमार जेर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों की कार्यवाहियों में बतौर वार्डपंच सम्मिलित रहा है तथा मिसल एवं विक्रय विलेखों पर उसके हस्ताक्षर अंकित है। यह भी सत्य है कि प्रार्थी/याचिकाकर्ता का जेर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों से प्रत्यक्षतः कोई हित प्रभावित नहीं होता है। किन्तु निर्णयाधीन समस्त पंचायत निगरानी याचिकाओं में अप्रार्थी संख्या एक अर्थात् ग्राम पंचायत कोटडी जरिए ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आलोच्य संकल्प एवं भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध लिखित में प्रक्रियात्मक एवं फर्जीवाडे जैसे गम्भीर आक्षेप प्रस्तुत करते हुए इन्हें निरस्त करने का निवेदन किया है। चूंकि हस्तगत निगरानी याचिकाओं में न केवल वैधानिक त्रुटियों को इंगित किया गया है अपितु आलोच्य संकल्प एवं भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध कूटरचना, राजकोष को हानि तथा अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन जैसे गम्भीर प्रश्न निहित है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रत्योयोजित पुनरीक्षण शक्तियों का स्वप्रेरणा से उपयोग करते हुए आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 एवं इसके अनुक्रम में निष्पादित उपरोक्त दसों भूमि विक्रय विलेखों की विधिकता एवं नियमितता के सम्बन्ध में पुनरीक्षण एवं गुणावगुण विवेचन का निश्चय किया जाता है।

2. विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के विरुद्ध पट्टाधारियों अर्थात अप्रार्थीगण संख्या दो के द्वारा यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि लिमिटेशन एक्ट के अनुसार रिविजन याचिका तीन वर्ष के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए जबकि प्रश्नगत निगरानियाँ पांच वर्ष की अवधि अन्तराल में प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित होने से काबिल खारिज है।

इसके खण्डन निमित्त काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने लिखित बहस के पद संख्या 12 में यह कथन किया है कि जेर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेखों से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही फर्जी एवं कूटरचित है तथा ऐसे अवैध पट्टों को निरस्त करवाने हेतु कोई म्याद निर्धारित नहीं है।

म्याद के बिन्दु पर वैधानिक स्थिति यह है कि राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 में पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन की शक्तियों के प्रयोग हेतु कोई अवधि सीमा उपबन्धित नहीं की गई है। यही स्थिति पूर्ववर्ती कानून राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की समवर्ती धारा 27–ए के सम्बन्ध में भी थी। चूंकि हस्तगत निगरानी याचिकाओं के माध्यम से आलोच्य विक्रय को फर्जी, कूटरचित तथा राजकोष को हानि कारित करने जैसे महत्वपूर्ण आधारों पर चुनौति प्रस्तुत की गई है जिस हेतु पांच वर्ष की अवधि कोई 'असमान्य विलम्ब' की श्रेणी मे नहीं मानी जा सकती, ऐसा न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है। काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष द्वारा इस बिन्दु पर प्रस्तुत निम्नलिखित दोनों न्यायिक दृष्टान्त भी इसी सिद्धान्त को प्रतिस्थापित करते हैं:–

1. RLW 2000(2) Raj Chimanlal Vs. State of Raj. 911
2. 2018(2) DNJ Usha Jugtawat Vs State of Raj. 497

अतः हस्तगत निगरानी याचिकाएँ अवधिबाधित होने सम्बन्धि अप्रार्थीपक्ष का तर्क विधिक दृष्टि से संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

3. विचाराधीन निगरानी याचिकाओं के विरुद्ध अप्रार्थीगण अर्थात पट्टाधारियों द्वारा एक प्राथमिक आपत्ति इस आशय की भी प्रस्तुत की गई है कि आलोच्य भूमि विक्रय विलेख उपपंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध करवाए जा चुके हैं तथा पंजीबद्ध पट्टो को निरस्त करवाने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही अपितु सिविल न्यायालय को प्राप्त है।
इस संबंध में न्यायालय हाजा का यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत पंचायत निगरानियों में ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 एवं निर्णय को चुनौति दी जाकर उक्त संकल्प तथा उसकी पालना में निष्पादित भूमि विक्रय दस्तावेजों को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया है।
पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय द्वारा किसी पंजीबद्ध पट्टो को निरस्त करने सम्बन्धि क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान Bhagirath ram Vs. State of Rajasthan (566 RRT 2020(1)) में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया गया है कि :-

" The provision of the Act and Rules providing for appeal against various orders including the order of issuing patta, merely because the same stood registered, can not take away jurisdiction of the appellate fourum/revisional forum."

अर्थात् माननीय न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त प्रकरण में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिस्थापित किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता न्यायालय को पंजीबद्ध पट्टा विलेखों के विरुद्ध भी निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

4. अप्रार्थी पट्टाधारियों द्वारा यह प्राथमिक आपत्ति भी प्रस्तुत की गई है कि पूर्व मे उन्हीं आलोच्य विक्रय विलेखों के विरुद्ध एक अन्य शख्स श्री मदनसिंह द्वारा इसी न्यायालय मे निगरानियाँ प्रस्तुत की गई थी, जो उनके द्वारा जरिए विड्रोअल (widrawal) खारिज की गई और इस आधार पर विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाएँ रेसज्युडिकेटा (Res Judicata) से प्रभावित होने के कारण खारिज योग्य है। इस सम्बन्ध मे काबिल अधिवक्ता श्री जितेश भण्डारी द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 12.09.2025 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर श्री मदनसिंह द्वारा प्रस्तुत उक्त निगरानी याचिकाएँ तलब की जाकर अवलोकन किया गया। जैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेखो के विरुद्ध श्री मदनसिंह द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त याचिकाएँ स्वयं प्रार्थी द्वारा विड्रो करवाये जाने के निवेदन पर कोई विस्तृत या वैधानिक निर्णय पारित किये बिना ही तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्तारित की गई थी, अर्थात प्रकरणो को गुणावगुण आधार पर अन्तिम रुप से निर्णीत नहीं किया गया। न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में विहित 'रेसज्युडिकेटा' सिद्धान्त अन्तिम रुप से निर्णीत (**finally decided**) प्रकरणों पर प्रभावी है एवं पूर्व प्रार्थी श्री मदनसिंह द्वारा इन्हीं विक्रय विलेखो के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिकाएँ गुणावगुण आधार पर 'अन्तिम रुप से निर्णीत' नहीं की जाकर स्वयं प्रार्थी द्वारा विड्रो कर दिए जाने से निस्तारित की गई। अतः अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत 'रेसज्युडिकेटा' सम्बन्धि आक्षेप वैधानिक दृष्टि से परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

5. हस्तगत पंचायत निगरानी याचिकाओं में याची ने आलोच्य संकल्प दिनांक 05.09.2019 तथा इसके अनुक्रम में निष्पादित भूमि विक्रय विलेखों को इस आधार पर चुनौति दी है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा प्रश्नगत मिसलों में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

1994 तथा अनुषंगी नियम 1996 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधान नियम 141 से 161 की पालना नहीं की गई है। याचिका के पद संख्या 2 लगायत 8 तथा प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में उक्त प्रक्रियात्मक आक्षेपों का पदवार विवरण दिया गया है। इस संबंध में ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों, बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर तथा पट्टा विलेख बुक संख्या 88 का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उल्लेखनीय है:-

(i) पंचायत निगरानी संख्या 385/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/494) बखिलाफ अप्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार, पंचायत निगरानी संख्या 399/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/508) बखिलाफ श्रीमती मंजू पत्नी श्री ओगड़राम एवं पंचायत निगरानी संख्या 407/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/514) बखिलाफ श्रीमती मंजू पत्नी उमेश लोहार से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावलियों में पट्टे हेतु कोई आवेदन ही सलंग्न नहीं है एवं न ही उक्त अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे किसी आवेदन के प्रस्तुत होने के प्रमाणस्वरुप कोई दस्तावेज अथवा प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनो प्रकरणों में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 की पूर्वापेक्षा में कोई आवेदन प्रस्तुत हुए बिना ही अप्रार्थीगण को रियायतीदर पर भूखण्ड का आवंटन किया गया है। यद्यपि शेष सात पंचायती निगरानी याचिकाओं में प्रार्थीपक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं होने का अंकन किया है किन्तु प्रार्थीपक्ष का उक्त कथन उपलब्ध मिसल दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं पाया जाता है। शेष सातों निगरानी प्रकरणों की मिसल पत्रावलियों में पट्टे हेतु आवेदन सलंग्न है।

(ii) उपरोक्त सातों निगरानी याचिकाओं में पट्टे हेतु आवेदनों पर वर्ष 2006, 2010, 2011 एवं 2013 की अलग अलग तिथियाँ अंकित है। याचिकाकर्ता द्वारा उक्त याचिकाओं में प्रस्तुत लिखित बहस में यह आक्षेप पेश किया गया है कि पूर्वोक्त अवधि में प्रस्तुत आवेदनों पर सरपंच के रुप में सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर है जबकि सुमित्रा मीणा जनवरी 2015 से जनवरी 2020 तक ही सरपंच रही है एवं इससे पूर्व श्री हिम्मतराम सरपच रहे है। ऐसी स्थिति में सन् 2010 से 2015 के बीच की अवधि की मिसलों में सरपंच के रुप में श्री हिम्मताराम के स्थान पर सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर है जो समस्त कार्यवाही कूटरचित व अवैध है।

याचीपक्ष के उपरोक्त आक्षेप के सम्बन्ध में मूल मिसल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

विचाराधीन समस्त दस निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों के सरबरक पर दायर तिथि वर्ष 2013-14 एवं उससे पूर्व की होना अंकित है। जबकि पंचायत बैठक कार्यवाही विवरण प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.05.2019 में उक्त सभी प्रकरणों में आवेदन प्रस्तुत होने तथा स्थल निरीक्षण हेतु निर्देश प्रदान करने का अंकन किया गया है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.05.2019 पर सरपंच सुमित्रा मीणा के हस्ताक्षर अंकित नहीं है किन्तु मिसल पत्रावलियों में प्रथम आदेशिका में सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा आवेदन एवं शुल्क रसीद प्रस्तुत होने तथा मिसल खोलने का अंकन है अर्थात बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 20.05.2019 तथा सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा इसकी तस्दीक के रुप में मिसल में लिखी प्रथम आदेशिका के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों में पट्टे हेतु आवेदन प्राप्त होने तथा ग्राम पंचायत द्वारा मिसल खोलने की कार्यवाही दिनांक 20.05.2019 तथा इसके पश्चात की गई। किन्तु मूल मिसल पत्रावलियों पर दायर दिनांक वर्ष 2013-14 एवं उससे पूर्व की अंकित है तथा सात मिसलों में सलंग्न पट्टा आवेदनों पर भी उसी अवधि की दिनांक अंकित है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा की कार्यकाल अवधि वर्ष 2015 से प्रारम्भ होने बाबत् प्रार्थीपक्ष के तर्क का अप्रार्थीगण द्वारा भी खण्डन नहीं किया गया है अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति (admitted position) है कि सरपंच के रुप में श्रीमती सुमित्रा मीणा का कार्यकाल वर्ष 2015 से प्रारम्भ हुआ था एवं उससे पूर्व कोई अन्य व्यक्ति ग्राम पंचायत कोटड़ी में सरपंच के रुप में पदस्थापित था। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि आरोपित सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा अपना कार्यकाल प्रारम्भ होने से पूर्व प्रस्तुत आवेदनों तथा पूर्व की अवधि में दायर मिसल पत्रावलियों पर बैकडेट में हस्ताक्षर कर आवेदन प्रस्तुत होने तथा मिसल खोलने सम्बन्धि कूटरचित अंकन किया गया है।

यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि विचाराधीन प्रकरणों की मूल मिसल पत्रावलियों में किसी भी आदेशिका पर दिनांक अंकित नहीं है। पंचायत निगरानी याचिका संख्या 399/2024 (जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/508) तथा निगरानी याचिका संख्या 407/2024 (जी.सी.एम.एस. संख्या : 2024/514) से संबंधित मूल मिसल संख्या 241 एवं 105 में तो किसी भी आदेशिका पर न तो दिनांक अंकित है और न ही सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर ही अंकित है।

(iii) बैठक कार्यवाही रजिस्टर से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी की बैठक दिनांक 22.07.2019 के प्रस्ताव संख्या 2 के द्वारा जैर निगरानी आलोच्य विक्रय विलेखों के सम्बन्ध में तीन पंचों की समिति गठित कर स्थल निरीक्षण बाबत् निर्णय लिया गया। किन्तु उक्त प्रस्ताव संख्या 2 में यह अंकित नहीं है कि ग्राम पंचायत कोरम द्वारा किन तीन पंचो को इस हेतु मनोनित किया गया था। सरपंच सुमित्रा मीणा द्वारा मिसल आदेशिका द्वारा तीन पंच श्री रमेश कुमार, श्री पेमाराम एवं श्रीमती कमला को इस हेतु नियुक्त करने की आज्ञा दी है किन्तु मिसल पत्रावलियों में ऐसा कोई नियुक्ति आदेश संलग्न नहीं है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 146 में स्थल निरीक्षण सम्बन्धि प्रावधान उपबन्धित है। **उक्त नियम 146 के उपनियम (2) के उपबन्धानुसार :–**

"सचिव ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठम में रहेगा।"

अर्थात् नियम 146 (2) के अनुसार वैधानिक स्थिति यह है कि ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि लम्बित पत्रावलियों में स्थल निरीक्षण हेतु किन तीन पंचो की समिति का गठन किया जाए। विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में सचिव द्वारा दिनांक 22.07.2019 को पंचायत बैठक में पंचों की समिति के गठन के लिए पत्रावलियाँ प्रस्तुत करने का अंकन तो है किन्तु उक्त प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत ने यह अभिनिर्धारित ही नहीं किया कि किन तीन वार्डपचों की समिति का गठन किया जाए। उक्त निर्णय सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा द्वारा मिसलों में प्रदत्त आदेशिका में लिया गया, जबकि पूर्वोक्त नियम 146 (2) के उपबन्धान्तर्गत अकेला सरपंच पंचों को मनोनित करने हेतु विधिक तौर पर अधिकृत नहीं है।

(iv) बैठक कार्यवाही रजिस्टर से यह भी जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत मिसल पत्रावलियों में बैठक दिनांक 05.08.2019 को ज़रिए प्रस्ताव संख्या 02 एक माह की अवधि का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया। विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस के जारी और प्रकाशित करने सम्बन्धि उपबन्ध राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 148 में विहित है, जो निम्नानुसार है–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. "यदि पंचायत अन्तिम रुप से यह विनिश्चय करें कि विक्रय किया जाये तो वह उप–नियम (2) में अधिकथित रीति से प्रारुप 22 में एक नोटिस, प्रस्तावित विक्रय के संबंध में, इसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर–भीतर, आक्षेप आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी। परन्तु राजस्व अभियान प्रशासन गांव के संग अभियान या भूमि के विक्रय और पट्टा वितरण के लिये राज्य सरकार के आदेश द्वारा आयोजित किसी अन्य अभियान के समय आक्षेपों की आक्षेप आमंत्रण की अवधि एक मास के स्थान पर सात दिवस की होगी।
2. उप–नियम (1) में निर्दिष्ट दो प्रतियों में नोटिस तैयार किया जायेगा और उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरुप हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने के पश्चात पंचायत कार्यालय को लौटा दी जायेगी।"

किन्तु निर्णयाधीन निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित समस्त दस मिसल पत्रावलियों में जारी उपरोक्त आपत्ति नोटिसों में किसी पर भी न तो दिनांक अंकित है और न ही पूर्वोक्त नियम 148 उपनियम (2) के आज्ञापक (Mandatory) प्रावधान अनुसार किसी भी नोटिस पर चस्पानगी की तस्दीक के रुप में कम से कम दो व्यक्तियों के हस्ताक्षर ही अंकित है। यहाँ तक कि मिसल संख्या 105/2012–13 तथा मिसल संख्या 241/2013–14 में तो आपत्ति आमंत्रण नोटिसों पर सरपंच अथवा सचिव के हस्ताक्षर भी अंकित नहीं है। संक्षेप में, प्रार्थीपक्ष का यह तर्क दस्तावेजों से सिद्ध पाया जाता है कि निर्णयाधीन निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 148 में उपबन्धित प्रावधानों की पालना नहीं की गई।

(v) हस्तगत निगरानी याचिकाओं में प्रार्थीपक्ष द्वारा यह भी आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि पूर्वोक्त नियम 1996 के नियम 147 के प्रावधानान्तर्गत ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निष्पादित करने के सम्बन्ध मे अनन्तिम विनिश्चय (Provisional decision) नहीं किया गया।

इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति यह है कि नियम 146 के उपबन्धानुसार तीन पंचो की समिति द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त पंचायत किसी बैठक में यह विनिश्चय करती है कि प्रस्तावित विक्रय किया जाए अथवा नहीं तथा यदि पंचायत द्वारा विक्रय का अनन्तिम रुप से विनिश्चय किया जाता है ते प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध मे प्रारुप 22 में (नियम 148 मे विहित विधि द्वारा) आपत्तियाँ आमंत्रित करने हेतु नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

विचाराधीन समस्त निगरानी याचिकाओं के सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मिसलों में आलोच्य भूमि विक्रय करने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा किसी भी बैठक मे कोई अनंतिम निर्णय (Provisional decision) नहीं लिया गया। अर्थात् प्रार्थीपक्ष का नियम 147 की पालना नहीं होने बाबत आक्षेप भी दस्तावेजी आधार पर प्रमाणित पाया जाता है।

इस प्रकार, उपरोक्त पद संख्या 5 मे अंकित विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा आलोच्य दसो विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व मिसल पत्रावलियों में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में विहित आज्ञापक

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

प्रक्रियात्मक प्रावधानों (Mandatory Procedural procisions) की पालना नहीं की गई।

उक्त प्रक्रियात्मक आक्षेपों के सम्बन्ध में अप्रार्थीपक्ष द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जारी परिपत्र/क्रमांक/पट्टा आवं/विधि/पंरा/2017/266 दिनांक 05.04.2017 के सन्दर्भ में वक्त बहस यह निवेदन किया गया कि उपरोक्त परिपत्र अनुसार विभाग द्वारा यह निर्देश दिए गए है कि नियम 158 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों को रियायती दर पर पट्टा आवंटन हेतु नियम 145 से 156 में वर्णित प्रक्रियात्मक प्रावधानों की पालना करना आवश्यक नहीं है। एवं इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा संकल्प पारित कर आवंटन की कार्यवाही की जा सकती है।

इस सम्बन्ध में अप्रार्थीपक्ष द्वारा इंगित उक्त परिपत्र दिनांक 05.04.2017 का अवलोकन किया गया। उक्त परिपत्र विभाग द्वारा एक विशेष पट्टा अभियान के सन्दर्भ मे जारी किया गया था, जो दिनांक 14 अप्रेल 2017 से 12 जुलाई, 2017 की अवधि यानि 90 दिवसों की अवधि हेतु ही वैध था। जबकि हस्तगत निगरानी याचिकाओं के द्वारा ग्राम पंचायत कोटडी के जिस प्रस्ताव/निर्णय को चुनौति दी गई है, वह प्रस्ताव दिनांक 05.09.2019 को पारित किया गया था। अतः परिपत्र दिनांक 05.04.2017 में प्रदत्त निर्देश निर्णयाधीन निगरानी याचिकाओं में बचाव उपकरण (defence tool) के रुप में उपयोग हेतु लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त परिपत्र हस्तगत प्रकरणों में इस आधार पर भी अप्रासंगिक है कि ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा उक्त निर्णयाधीन याचिकाओं से सम्बन्धित मिसल पत्रावलियों में तो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 158 तक विहित प्रक्रिया की पालना पूरी करना दर्शाया है।

6. प्रार्थी द्वारा विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों के विरुद्ध यह आक्षेप प्रस्तुत किया गया है कि अप्रार्थीगण के साथ सांठ-गांठ कर अपात्र व्यक्तियों को फर्जी तरीके से भूमियों का आवंटन किया गया है। यह भी, कि पट्टाधारियों के उसी पंचायत क्षेत्र में पूर्व से रहवासी मकान स्थित है तथा भूमिहीन न होते हुए भी नियम 158 के अन्तर्गत कमजोर वर्गों हेतु अपेक्षित रियायती दर पर भू-आवंटन कर पंचायत के राजकोष को आर्थिक हानि कारित की गई है।

अप्रार्थी संख्या एक ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटड़ी ने अपने जवाबपत्र में उपरोक्त आरोप की पुष्टि करते हुए जैर निगरानी आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों को निरस्त करने का निवेदन किया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि निर्णयाधीन समस्त निगरानी याचिकाओं में प्रश्नगत भूमि विक्रय राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत निष्पादित पट्टा विलेख है। उक्त नियम 158 में उपबन्धित है कि:-

1. "पंचायत, गांव आबादियो में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यो को, गांव के कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहिन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावार जनजातियों, गाडिया लुहारों के पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नहीं है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये हैं या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये हैं, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी और ऐसे भूमि का पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी किया जा सकेगा।

1.क पंचायत, सरहदी पंचायत समिति क्षेत्रों के भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में 300 वर्गगज तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी।

2. ऐसे आवंटियों से निम्न प्रकार दर से वसूल की जावेगी।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

क. 1000 से कम की आबादी वाले गांवो में (1991 की जनगणना) 2/–प्रतिवर्गमीटर
ख.1001 से 2000 की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 5/–प्रतिवर्गमीटर
ग. 2000 से अधिक की आबादी वाले गांवों में (1991 की जनगणना) 10/–प्रतिवर्गमीटर
परन्तु राज्य सरकार ऐसी भूमियों को, व्यक्तियों की कुछ श्रेणीयों के लिए निःशुल्क आवंटित कर सकेगी। परन्तु यह और कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आबादी भूमि के आवंटन की दशा में पंचायत भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी किया जा सकेगा।
2क. पंचायत, घुमक्कड़ भेड पालकों को 300 वर्गगज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी।"

उक्त नियम 158 में समाज के कमजोर वर्गों, जिनकी श्रेणीयाँ स्पष्टतः अंकित की गई है, को निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर भूमि आवंटन का प्रावधान उपबन्धित है एवं ऐसे भू–आवंटन हेतु कमजोर वर्ग के ऐसे व्यक्तियों के पास स्वयं का गृह स्थल (Home site) या गृह (Home) नहीं होना पूर्वशर्त के रुप में अभिलिखित है। अर्थात् जिनके पास स्वयं का गृह अथवा गृह निर्माण हेतु स्थल नहीं है, कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्ति ही पूर्वोक्त नियम 158 के अन्तर्गत भू–आवंटन हेतु पात्र है। जैसा कि इस पद के प्रारम्भ में यह अंकित किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा पट्टाधारियों के पास पूर्व से रहवासी मकान एवं भूखण्ड होने का याचिका व लिखित बहस में शपथ कथन किया गया है, जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भी अपने जवाबपत्र में की गई है। यद्यपि अप्रार्थीगण पट्टाधारियों द्वारा समस्त निगरानी याचिकाओं (निगरानी प्रकरण संख्या 398/2024 के अतिरिक्त) में एक समान साइक्लोस्टाईल जवाबपत्र प्रस्तुत कर जवाबपत्र के पद संख्या 7 में यह अंकन मात्र किया है कि अप्रार्थी भूमिहिन व्यक्ति है। यद्यपि दोनों ही पक्ष पूर्व मे रहवासी मकान एवं भूखण्ड होने बाबत् अपने परस्पर विरोधाभाषी दावों की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

ऐसी स्थिति में, आलोच्य विक्रय विलेखों से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावलियों के विश्लेषण पर यह निर्धारण किया जाना प्रासंगिक है कि "क्या ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा रियायती दर पर आलोच्य विक्रय विलेख निष्पादित करने से पूर्व अप्रार्थीगण पट्टाधारियों की पात्रता की समुचित जांच की गई अथवा नहीं?

जैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 जिसके द्वारा निर्णयाधीन दसों विक्रय विलेख जारी करने का निर्णय लिया गया, में अंकित है कि
"..... जो प्रार्थी भूमिहिन, एस.एसी. एस.टी. घुमक्कड,भेडपालक, शिक्षित बेरोजगार मजदूर वर्ग है, उनको पंचायती राज नियम 1996 के नियम 158 अन्तर्गत रियायती दर 5/–रुपये प्रतिवर्गमीटर से वसूल कर पट्टा जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया..... ।"

अर्थात् उपरोक्त प्रस्ताव में यह कहीं अंकित नहीं है कि अप्रार्थीगण पट्टेधारियों की पात्रता के सम्बन्ध में कब एवं किस स्तर से जांच की गई अथवा क्या ऐसी जांच की गई कि पात्र माने गए व्यक्तियों के पास पूर्व से रहवासी गृह अथवा गृह–स्थल है अथवा नहीं अर्थात् उक्त प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 में इनकी पात्रता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जांच करने का कहीं कोई अंकन नहीं है। यहीं तक कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव दिनांक 05.09.2019 द्वारा जिन 133 प्रकरणों (उक्त 133 प्रकरणों में निर्णयाधीन दस प्रकरण भी सम्मिलित है) में नियम 158 के अन्तर्गत पट्टा जारी करने का निर्णय लिया गया, उन 133 व्यक्तियों की नामवार अंकित सूची में भी प्रत्येक के आगे कमजोर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

वर्गों की श्रेणीयों का उल्लेख नहीं किया गया है अर्थात् यह अंकन नहीं है कि कौनसा व्यक्ति भूमिहिन श्रमिक है एवं कौनसा व्यक्ति अनूसूचित जाति या जनजाति अथवा भेड़पालक एवं मजदूर वर्ग से सम्बन्धित है। अर्थात् आलोच्य प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.09.2019 में फौरी एवं अस्पष्ट तौर पर अंकन किया जाकर रियायती दर पर भूमि आवंटन का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त विचाराधीन निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों में सलग्न अन्तिम आदेशिका में यह अंकन किया गया है कि सभी पंचो ने विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि प्रार्थी गरीब परिवार का सदस्य है। अन्तिम आदेशिका में अंकित उक्त कथन पंचायत बैठक प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 05.09.2019 से मेल नहीं खाता है। साथ ही, नियम 158 में गरीब परिवार से सम्बन्धित होने के आधार पर रियायती दर पर भूमि विक्रय का कोई प्रावधान नहीं है। नियम 158 के उपनियम (1क) के परन्तुक में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क भूमि आवंटन का उपबन्ध अवश्य है किन्तु हस्तगत प्रकरणो में भूमि का रियायती दर पर आवंटन किया गया है, न कि अन्तिम आदेशिका में अंकन अनुसार गरीब परिवार को निःशुल्क आवंटन। अतः यह स्पष्ट है कि मूल मिसल पत्रावलियों में प्रदत्त अन्तिम आज्ञा/ आदेशिका में अंकित तथ्य न केवल अन्तिम प्रस्ताव दिनांक 05.09.2019 में अंकित तथ्यों से भिन्न है, अपितु ऐसा अंकन काल्पनिक एवं निराधार होना भी साबित पाया जाता है।

यह भी महत्वपूर्ण है कि विचाराधीन निगरानी याचिकाओं की मूल मिसल पत्रावलियों में भी पात्रता की जांच करने सम्बन्धि कहीं कोई प्रमाण या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है मिसलों में सलंग्न बयानों पर भी अप्रार्थी अथवा गवाह के हस्ताक्षर तक अंकित नहीं है। अर्थात बिना किसी सम्यक जांच एवं गवाहों पड़ौसी व्यक्तियों के बयानो आदि को लेखबद्ध किये बिना ही पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण को नियम 158 की परिधि में रियायती दर पर भूमि आवंटन का निश्चय किया गया, जबकि सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि पात्रता के सम्बन्ध में ऐसी कोई जांच किसी भी स्तर पर सम्पादित नहीं की गई।

7. प्रार्थी ने विचाराधीन निगरानी याचिकाओं में से याचिका प्रकरण संख्या 384/2024 (जी.सी.एम.एस. संख्या: 2024/493) तथा प्रकरण संख्या 404/2024 (जी.सी.एम.एस.संख्या: 2024/516) में यह आक्षेप प्रस्तुत किया है कि उक्त दोनो प्रकरणों से सम्बन्धित मूल मिसल पत्रावलियों (मिसल संख्या 34/2010–11 एवं 74/2018–2019) में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण क्रमशः श्री नगाराम पुत्र पकाजी प्रजापत एवं श्रीमती कन्या पत्नी नगाराम प्रजापत को रियायती दर पर भूमि विक्रय विलेख जारी किये हुए है। उक्त दोनों पट्टाधारी रिश्तें में पति–पत्नि है तथा भूमिहिन कमजोर वर्ग की श्रेणी में शामिल मानते हुए पंचायत द्वारा पूर्णत अवैध ढंग से पति एवं पत्नी दोनों को रियायती दर पर भू–आवंटन किया गया। ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पचायत कोटडी द्वारा भी अपने जवाबपत्र में इस तथ्य को सही स्वीकार कर तस्दीक की गई है।

यहाँ तक कि अप्रार्थीगण अर्थात् उक्त दोनों पट्टाधारियों द्वारा भी वक्त सुनवाई इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया अर्थात् यह स्वीकार्य स्थिति है कि श्री नगाराम प्रजापत एवं श्रीमती कन्या, दोनों पति–पत्नी है तथा पंचायत द्वारा दोनों को ही एक ही प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 से निर्णय कर मिसल संख्या 34 एवं मिसल संख्या 74 में पट्टा विलेख संख्या 20 तथा पट्टा विलेख संख्या 21 जारी किया गया है। उक्त दोनो ही पट्टे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 में जारी किए गए है जो ऐसे

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

भूमिहिन कमजोर वर्गों को रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान करता है जिनके पास स्वयं का गृह या गृहास्थल नहीं हो। एक ही परिवार यानि पति पत्नी दोनों को अलग भूमियों का आवंटन कर पंचायत द्वारा न केवल उक्त नियम 158 के प्रावधानों की मंशा के विपरित निर्णय लिया गया है अपितु पात्रता इत्यादि के सम्बन्ध में बिना किसी ठोस जांच के एवं फर्जी व अवैध तरीके से पंचायत की स्वामित्वाधीन भूमि की औने पौने दामों पर बंदरबांट भी की गई है।

8. प्रार्थी ने ऐसा ही आक्षेप निगरानी प्रकरण संख्या 385/2024 (जी.सी.एम.एस. संख्या: 2024/494) में अप्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार पुत्र भंवरलाल राव(मूल मिसल संख्या 04/12–13) के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख के विरुद्ध भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के पद संख्या 5 में यह कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या दो(श्री दुर्गेश कुमार) की माता सुखीदेवी के नाम से पूर्व में प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है तथा पूर्व से इनके पास भूखण्ड भी है। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम विकास अधिकारी, कोटडी द्वारा भी अपने जवाबपत्र में उक्त आक्षेप की पुष्टि की गई है। अप्रार्थी पट्टाधारी श्री दुर्गेश कुमार द्वारा अपने जवाबपत्र में इस आक्षेप का खण्डन नहीं किया गया अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति (**admitted position**) है कि श्री दुर्गेश कुमार की माता श्रीमती सुखीदेवी पत्नी श्री भंवरलाल राव के नाम से पूर्व में प्रधानमंत्री आवास एवं स्वयं का भूखण्ड है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 में क्रम संख्या 42 पर अप्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार पुत्र श्री भंवरलाल राव को तथा क्रम संख्या 41 पर इनकी माता श्रीमती सुखीदेवी पत्नी श्री भंवरलाल राव को रियायती दर पर भूमि विक्रय का निर्णय लिया गया। पूर्व से प्रधानमंत्री आवास एवं भूखण्ड होते हुए भी माता एवं पुत्र को भूमिहिन मानते हुए दोनों को ही पृथक–पृथक नियम 158 के अन्तर्गत रियायती भूमि आवंटन कर ग्राम पंचायत कोटडी द्वारा पूर्णतः अवैध कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। अप्रार्थी श्री दुर्गेश कुमार के पक्ष में निष्पादित आलोच्य भूमि विक्रय विलेख संख्या 41 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में उनकी माता श्रीमती सुखीदेवी का भूखण्ड अवस्थित होना अंकित भी है।

9. ग्राम पंचायत कोटडीसे तलब पट्टा बुक संख्या 88 के अवलोकन से एक गम्भीर तथ्य यह भी संज्ञान में आता है कि उक्त पट्टा बुक में पट्टा विलेख संख्या 1,2,3,7,8,9,10,11,12,13,24,35,36,37 एवं ऐसे ही अन्य कुछ और विलेख अनिष्पादित है अर्थात् इन पर पट्टाधारियों के नाम, संकल्प, दिनांक आदि विवरण रिक्त है और उक्त पट्टा विलेखों को किसी भी व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित नहीं किया गया है। किन्तु आश्चर्यजनक रुप से उक्त अनिष्पादित एवं खाली पट्टा विलेखों पर भूखण्ड विशेष की चतुर्दशी अंकित करते हुए सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा एवं श्री रमेश कुमार सहित तीन पंचों के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त समस्त पट्टा विलेख नियम 158 में विहित प्रारुप के पट्टा विलेख है तथा निर्णयाधीन दस निगरानी याचिकाओं में आलोच्य भूमि विक्रय विलेखों में से नौ विक्रय विलेख (प्रकरण संख्या 385/2024 बखिलाफ श्री दुर्गेश कुमार के अतिरिक्त) इसी पट्टा बुक संख्या 88 से जारी किए गए है। अनिष्पादित एवं खाली पट्टा विलेखों पर चतुर्दशी विशेष का अंकन करते हुए एवं पंचायत द्वारा निर्णय लिए बिना ही सरपंच एवं पंचों द्वारा पूर्व में ही हस्ताक्षर कर पुष्टि करना नियम 158 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा सम्पादित सम्पूर्ण कार्यवाही को सन्देहास्पद बनाने हेतु पर्याप्त आधार है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
वाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384/2024,385/2024, 386/2024, 388/2024, 393/2024, 398/2024, 399/2024, 403/2024, 404/2024, 407/2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटड़ी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

10. जैर निगरानी आलोच्य संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 एवं इसके द्वारा नियम 158 में निष्पादित भूमि विक्रय विलेखों में से कुल 26 विलेखों के विरुद्ध प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में निगरानी याचिकाएं प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत कोटड़ी से मूल रिकॉर्ड तलब किए जाने पर उक्त 26 में से निर्णयाधीन 10 याचिकाओं से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड ही प्रेषित किया गया। शेष 16 प्रकरणों से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड की तलबी हेतु ग्राम पंचायत से पुनः पत्राचार कर निर्देश दिए गए है तथा मूल रिकॉर्ड पर स्थिति स्पष्ट होने पर उक्त शेष 16 प्रकरणों का भी गुणावगुण आधार पर विश्लेषण करते हुए न्यायापूर्ण निस्तारण किया जाएगा।

उपरोक्त विश्लेषण एवं वजूहातो के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णयाधीन दस निगरानी याचिकाओं से सम्बन्धित प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 द्वारा भूमिहिन कमजोर वर्गों हेतु रियायती दर पर भूमि विक्रय का निर्णय करने से पूर्व ग्राम पंचायत कोटड़ी द्वारा पात्रता सम्बन्धि किसी प्रकार की समुचित जांच नहीं की गई तथा अपात्र व्यक्तियों को एवं एक ही परिवार के सदस्यों यथा, पति–पत्नि एवं माता–पुत्र तक को पृथक पृथक भूखण्ड राशि, 557/– एवं 558/– रुपये मात्र जैसे कम दामों पर आवंटित कर पंचायत राजकोष को आर्थिक हानि कारित की गई। तत्कालीन सरपंच श्रीमती सुमित्रा मीणा एवं वार्ड पंच श्री रमेश कुमार श्रीमती कमला एवं श्री पेमाराम तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 तथा अनुषंगी नियम 1996 में उपबन्धित प्रावधानों की अवहेलना करते हुए न केवल पंचायत की स्वामित्वाधीन सार्वजनिक आबादी भूमि का बिना पात्रता की जांच किए औने–पौने दामों पर हस्तान्तरण किया गया, अपितु अपने कार्यकाल से पहले की अवधि मे प्रस्तुत हस्तावेजों पर बैकडेट में हस्ताक्षर कर एवं सभी मिसल पत्रावलियों में आदिनांक आदेशिकाओं पर हस्ताक्षर कर अवैध कार्यवाही भी कारित की गई है। अतः उपरोक्त लोकसेवको के विरुद्ध विभागीय अधिकारी प.स. देसूरी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

अतः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत प्रस्तुत निर्णयाधीन दस निगरानी याचिकाओं में अंकित आक्षेप प्रमाणित पाए जाने से निगरानी याचिकाएँ स्वीकार की जाती है तथा मिसल संख्या 34/2010–11, 04/2012–13, 144/2012–13, 113/2013–14, 234/2010–11, 91/2012–13, 241/2013–14, 158/2010–11, 74/2018–19 तथा 105/2012–13 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत कोडडी द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 05.09.2019 तथा उसकी अनुपालना में निष्पादित भूमि विक्रय विलेख क्रमशः संख्या 20 बजतरफ नगाराम पुत्र पकाजी प्रजापत, पट्टा संख्या 41 बजतरफ दुर्गेश कुमार, पट्टा संख्या 4 बजतरफ हरिलाल पुत्र श्री कीकाराम, पट्टा संख्या 17 बजतरफ अमृतलाल पुत्र श्री मांगीलाल राव, पट्टा संख्या 5 बजतरफ जीवली पत्नी श्री लादाराम, पट्टा संख्या 15 बजतरफ पोकरराम पुत्र श्री अमराराम,पट्टा संख्या 18 बजतरफ मंजू पत्नी श्री ओगड़राम नाई, पट्टा संख्या 6 बजतरफ कंकू पत्नी श्री बजाराम, पट्टा संख्या 21 कन्या पत्नी नगाराम एवं पट्टा संख्या 19 बजतरफ मंजूदेवी पत्नी उमेश लोहार निरस्त किये जाते है।

साथ ही, प्रकरण ग्राम पंचायत कोटड़ी जरिए ग्राम विकास अधिकारी को पुनप्रेषित कर निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेखों से सम्बन्धित भूखण्डों का राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय नौ मे विहित खुली निलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाना सुनिश्चित करें ताकि पंचायत राजकोष में अभिवृद्धि एवं सार्वजनिक आबादी भूमि का निष्पक्ष हस्तान्तरण हो सके।

उक्त खुली निलामी प्रक्रिया विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण व देखरेख में सम्पादित करने के भी निर्देश दिए जाते है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 384 / 2024,385 / 2024, 386 / 2024, 388 / 2024, 393 / 2024, 398 / 2024, 399 / 2024, 403 / 2024, 404 / 2024, 407 / 2024
उनवान : रमेश कुमार बनाम ग्राम पंचायत कोटडी व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कोटडी को यह भी निर्देश दिए जाते है कि निरस्त किए गए भूमि विक्रय विलेखों की मूल प्रति पर लाल स्याही से क्रॉस मार्क एवं बड़े–बड़े अक्षरों में निरस्त शब्द का अंकन करना सुनिश्चित करें।

निर्णय दस प्रतियों में जारी होकर प्रत्येक निगरानी याचिका में सलग्न किया जाए तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूल मिसल पत्रावलियों की प्रमाणित प्रति भी शामिल पत्रावली की जाए।

निर्णय आज दिनांक 10.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ पंचायत द्वारा प्रेषित मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

(... सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner